न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी

प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019

धन्नाराम पुत्र स्व0 मोहन वल्द सोनू बावरी, निवासी पीसागंन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राज,)

..अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पीसागंन जरिये सरपंच/ सचिव तहसील पीसागंन जिला अजमेर ।
2. कचरूराम पुत्र स्व0 शंकर
3. मदनलाल पुत्र स्व0 शंकर
   दोनों जाति बावरी निवासी बस्सी मोहल्ला, पीसागंन तहसील पीसागंन जिला अजमेर
4. चौथी देवी पुत्री स्व0 शंकर पत्नि बक्साराम जाति बावरी निवासी भूरियासनी तहसील मेडतासिटी जिला नागौर।
5. बदामी पुत्री स्व0 शंकर पत्नि सुगनाराम जाति बावरी निवासी रोयसी तहसील रियांबडी जिला नागौर
6. गज्जू पुत्र स्व0 कैलाश परपौत्र स्व0 मोहन वल्द सोनू
7. किशन पुत्र स्व0 हरिराम पौत्र स्व0 मोहन वल्द सोनू
8. हस्तू पत्नि स्व0 चांदूराम पौत्रवधू स्व0 मोहन वल्द सोनू
9. शौकीन पुत्र स्व0 चांदूराम पौत्र स्व0 मोहन वल्द सोनू
10. बीरा उर्फ गोपाल पुत्र स्व0 चांदूराम पौत्र स्व0 मोहन वल्द सोनू
11. मैना पुत्री स्व0 चांदूराम पत्नि रामदेव
12. नैनी पुत्री स्व0 चांदूराम पत्नि ताराचन्द
    जाति बावरी निवासी कुडकी लाम्बीया रोड
13. छोटू पुत्र स्व0 मोहन वल्द सोनू जाति बावरी निवासी चेनपुरा मौहल्ला पीसागंन जिला अजमेर
14. पांची पुत्री मोहन (मोहन वल्द सोनू) के वारीसान :–
    14/1 प्रहलाद पुत्र स्व0 पांची पत्नि सोहन
    14/2 श्रवण पुत्र स्व0 पांची पत्नि सोहन
    14/3 दयाल पुत्र स्व0 पांची पत्नि सोहन
    14/4 डालाबाई पुत्री स्व0 पांची पत्नि सोहन पत्नि शैतान
15. पतासी पुत्री स्व0 मोहन वल्द सोनू के वारीसान :–
    15/1 हनुमान पुत्र पतासी पत्नि पूनाराम
    15/2 पप्पू पुत्र पतासी पत्नि पूनाराम
    15/3 सुखादेवी पत्नि सहदेव
    समस्त जाति बावरी निवासी रावणिया तहसील रायपुर जिला पाली
16. कमला पुत्री स्व0 मोहन वल्द सोनू जाति बावरी निवासी सुमेल तहसील रायपुर जिला पाली

... रेस्पोण्डेन्टस

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:02:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 10.01.1965 जो कि ग्राम पंचायत पीसागंन द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका – अभिभाषक अपीलार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 23.10.2020

संक्षिप्त में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 10.01.1965 जो कि ग्राम पंचायत पीसागंन द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने बाबत का प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम पीसागंन की आराजी के साबिक खसरा संख्या 1809 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वासी भूमि थी अपीलाटं के दादा स्व0 सोनू थे। अपीलाण्ट के दादा सोनू के स्वर्गवास हो जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5 के पूर्वाधिकारी स्व0 शंकर ने अपने आपको अकेला स्व0 सोनू का वारिस बताते हुए तत्कालिन सरपंच से मिलीभगत कर स्व0 सानू वल्द शम्भू की विरासत का नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 10.1.1965 को अपने अकेले के नाम स्वीकृत करवा लिया । अपीलाण्ट को उक्त नामांतरकरण की जानकारी नहीं रही। अपीलाण्ट अपनी उक्त पुश्तैनी भूमि पर अपने पिता मोहन के निधन के बाद आज दिनांक तक काबिज काश्त है। दिनांक 23.4.2019 को स्व0 शंकर के वारिसान ने अपीलाण्ट के साथ मारपीट की एंव अपीलाण्ट को उक्त जमीन उनके नाम राजस्व रिकार्ड होने अपीलाण्ट को बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर अपीलाट ने राजस्व रिकार्ड वकील साहब को दिखाया तो जानकारी मिली कि उक्त भूमि को अकेले स्व0 शंकर पुत्र सोनू ने अपने नाम चढवा ली है। अतः ग्राम पंचायत पीसागंन द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 10.1.1965 काबिल निरस्त योग्य है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब नहीं दिया तो उनका जवाब बंद किया जाता है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 16 के वारीसान अथवा स्वयं को तामिलें हो चूकी है आज उपस्थित नहीं है। भिन्न – भिन्न समय पर आवाज दिलाई गयी उपस्थित नहीं साथ ही अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 16 तक के हित में अपीलाण्ट के साथ ही निहित है अतः रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से 16 को उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पोडेण्ट सख्या 2 से 5 को भिन्न भिन्न समय पर आवाज दी गयी जवाब बंद किया जाता है । पत्रावली अवलोकन करने पर पाया गया कि धारा 05 मियाद अधिनियम जिसे अपील प्रस्तुत करते समय ही सुन लिया गया अतः आज धारा 05 मियाद अधिनियम जो पूर्व में ही स्वीकार [illegible] गया था आज शामिल आदेशिका हो । अपीलाण्ट की बहस सुनी । अपीलाण्ट ने [illegible] से नामांतरण संख्या 348 दिनांक 10.01.1965 जो ग्राम पंचायत पीसांगन [illegible] है कि वो भी सोनू बावरी के वारीसान है लेकिन नामान्तरण केवल रे[illegible] संख्या [illegible] पिता के नाम ही भरा गया। उन्होंने एक अन्य नामान्तरण सख्या [illegible] दिनांक 27.01.96 पेश किया जो तहसीलदार पीसांगन द्वारा स्वीकृत है उसमें सोनू पुत्र शम्भू जाति बावरी के दो पुत्र होना

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:02:31 IST
Reason: SelfAttested

अवगत है जिसमें अपीलाण्ट के पिता भी सोनू के पुत्र के रूप में तस्दीक है जबकि अपीलाधीन नामांतकरण में सोनू के पुत्र के रूप में तस्दीक है जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण में सोनू के वारीसों की तस्दीक नहीं है।

मैंने अपीलाण्ट की बहस सुनी। पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि सोनू वल्द शंभु जाति बावरी के अपीलण्ट के पिता भी वारीस है अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 10.1.1965 खारिज किया जाता है तहसीलदार पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि पुनः सोनू वल्द शम्भु जाति बावरी के वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामांतकरण पुनः दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागन

उपखण्ड अधिकारी पीसागन (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.12 17:02:31 IST
Reason: SelfAttested